Finally, jute is also part of textiles. A lot of jute garments can be made. Is the Government trying to do something so that cotton mixed with jute or jute mixed with cotton, whatever it is, can also be exported? What efforts is the Government making on this?

SHRI KASHIRAM RANA: Sir, it is not totally true that our exporters are violating some type of conditions.

The second part is about jute garments. It is correct that, so far as jute is concerned, our exports are declining. But now the Government of India is going to formulate a Technology Mission on Jute so that we can improve the quality of jute. We can enhance our productivity of jute also. So, in this way, we can improve the jute technology.

Offence of untouchability against SCs

*143. SHRI NAGENDRA NATH OJHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of cases of offence of untouchability, committee against scheduled castes, registered during 1998 and 1999, State-wise;

(b) whether there is a provision under the Civil Rights Protection Act, 1995 to identify untouchability prone areas in the country and submit a periodical report to Parliament in every three years; and

(c) if so, how many such reports have been submitted during the last ten years?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) **Available information is given in the enclosed Statment-I** (*See* below).

(b) and (c) Section 15A(2) of the Protection of Civil Rights Act, 1955 provides, inter alia, for the identification of the areas where persons are under any disability arising out of "untouchability" and adoption of such measures as would ensure the removal of such disability from such areas. Further, section 15A (4) of the Act provides for placing on the Table of each House of Parliament, every year, a report on the measures taken by the Government of India

and the State Government. During the last ten years, seven reports have been so laid.

Statement

The Number of cases relating to the offence of untouchability committee against Scheduled Castes during 1998 and 1999.

Sl. No.	Name of the State	No. of cases reported		
		1998	1999	(As on)
1.	Andhra Pradesh	172	118	June
2.	Assam	0	1	July
3.	Bihar	12	—	
4.	Gujarat	27	5	July
5.	Himachal Pradesh	2	2	July
6.	Karnataka	128	49	July
7.	Kerala	2	1	June
8.	Madhya Pradesh	15	11	July
9.	Maharashtra	191	88	July
10.	Orissa	7	2	May
11.	Punjab	1	0	July
12.	Rajasthan	0	2	July
13.	Tamil Nadu	165	50	July
14.	Uttar Pradesh	6	0	June
	UNION TERRITORIES			
15.	Delhi	1	2	July
16.	Pondicherry	9	8	August

Information in respect of other States/UTs is NIL.
Source: NCRB, Ministry of Home Affairs.
Note: Figures are provisional.

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: माननीय सभापति महोदय, जो उत्तर मिला है, उससे यह स्पष्ट है कि कई राज्यों में अस्पृश्यता की समस्या बनी हुई है। मेरा प्रश्न यह है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान सिर्फ 7 रिपोर्टें सदन में पेश की गई हैं और बताया गया है कि प्रतिवर्ष रिपोर्ट पेश करने का प्रावधान है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किन तीन वर्षों की रिपोर्ट अभी तक सदन में नहीं रखी गई? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है। मेरे प्रश्न का भाग (ख) यह है कि जो अस्पृश्यता

के मामले विभिन्न राज्यों में दर्ज हुए हैं, उनमें कितने अपराधियों को इन्हीं वर्षों में दंडित किया गया, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सभापति महोदय, प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट के अधीन धारा 15 के अधीन सरकार को हर वर्ष रिपोर्ट सदन में रखनी है। लेकिन जब कहा गया है कि पिछले 10 सालों में कुछ रिपोर्ट रखी गई हैं तो 7 होते हुए भी उनमें से दो रिपोर्ट दो दो साल की मिला कर के हैं। अर्थात् 10 में से 9 साल की रिपोर्टें सदन के सामने आ चुकी है। अगर यह कहें कि कौन-कौन से वर्ष की हैं तो मैं स्वीकार करूंगा कि लेटेस्ट रिपोर्ट जो लोक सभा में कल रखी गई है, वह 1995 की रखी गई है। 1995 के बाद की रिपोर्टें अभी रखनी बाकी हैं। कारण यह है कि कानून में यह लिखा है:—

"The Central Government shall, every year, place on the Table of each House of Parliament a report on the measures taken by itself—meaning the Central Government—and by the State Governments in pursuance of the provisions of this Section."

राज्यों की सरकारों के कानून के अधीन क्या क्या कदम उठाए हैं अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए, उसके बारे में जानकारी मिलने में देर होती है और इसी कारण से विलम्ब होता है अन्यथा हमारी तरफ से, केन्द्र की तरफ से लगातार इस विषय में प्रदेशों से चर्चा होती है। प्रदेश सरकारों से हमारा आग्रह होता है कि आप इस बारे में हम को जानकारी दीजिये क्योंकि यह हमारा स्टैट्यूटरि ओब्लिगेशन है।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा: सभापति महोदय, सेकेंड सप्लीमेंटरी पूछने से पहले मैं माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि 1995 में रिपोर्ट अभी कल ही लोक सभा में पेश की गई। मेरा प्रश्न था कि पिछले 10 वर्षों के अन्दर कितनी रिपोर्टें पेश की गई। उसके उत्तर में बताया गया कि पिछले 10 वर्षों में अर्थात् 1990 से और 1995 तक की कुल 7 रिपोर्ट सदन में रखी गई। हम समझते हैं कि इससे सदन गुमराह हो जाता। अगर गृह मंत्री जी ने अभी यह नहीं कहा होता कि कल 1995 की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। मैं इस बात को कह रहा हूं, गृह मंत्री जी से मेरा प्रश्न था 1997 में। तब कोई उत्तर नहीं दिया गया था और सिर्फ यह कह दिया गया था कि सूचना एकत्र की जा रही है, सदन में सभा पटल पर रख दी जाएगी। मैं इस मामले को गम्भीर समझता था। इसलिए मेरा सेकेंड सप्लीमेंटरी यह है, मैं मानता हूं कि जो अस्पृश्यता के मुकद्दमे दर्ज होते हैं वह अधिकतर अनुसूचित जातियों के कनशियस हिस्से के दर्ज होते हैं। गांवों या शहरों के अन्दर जो सब से दलित हैं उनकी ओर से छूआछूत के मामले दर्ज कराए ही नहीं जाते हैं जबकि छूआछूत का मामला चल रहा है। मैं यह देख रहा हूं कि इस मामले में हम 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई टेक्नोलोजी मिशन की आवश्यकता नहीं है, कोई नई टेक्नोलोजी बाहर से नहीं लाई जाने वाली है केवल हमारे हृदयों को

बदलना है, हमारी ही टेक्नोलोजी काम करेगी। मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हम 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं लेकिन यह समस्या बनी हुई है, इस मामले में हमारा गृह मंत्रालय या हमारी सरकार कौन से ऐसे नये कदम उठाने जा रही है कि 21वीं सदी की शुरुआत से हम इस अभिशाप को नहीं देख सकेंगे और महसूस नहीं कर सकेंगे जो इतनी विशाल आबादी अनुसूचित जातियों की आज महसूस कर रही है? क्या इस विषय पर कभी आप विशेष चर्चा कराने का कष्ट करेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जहां तक पहला सवाल है, माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा था कि पिछले दस सालों में कितनी रिपोर्टस रखी गयीं। उनका जवाब है कि सात रिपोर्टस रखी गयीं। मैंने स्वयं आपको जानकारी दी कि इसमें संतोष हमको भी नहीं है क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट जो एक प्रकार से दसवीं हो गयी और मैं कह सकता था कि दस सालों में दस रखी हैं लेकिन वह लेटेस्ट रिपोर्ट कल जो लोक सभा में रखी गयी वह 1995 की है। मैंने यह जानबूझकर जानकारी दी कि हम इस बात को पहचानें कि हमारी जो जवाबदारी है वह जवाबदारी केवल मात्र अपने बारे में नहीं है लेकिन प्रदेशों से, सब सरकारों से जानकारी प्राप्त करके रिपोर्ट देनी है। इस कारण उसमें कमी है।

जहां तक अस्पृश्यता का सवाल है उस अस्पृश्यता के बारे में मैं इतना कहूंगा कि संविधान ने तो 1950 में ही उसको प्रतिबंधित कर दिया था और कहा था—"Untouchability is forbidden in any form" उसके बाद उस संदर्भ में कानून भी बना और उसमें से एक इम्पारटेंट कानून बना "प्रीवेंशन आफ सिविल राइट्स एक्ट, 1955"। मैं इस तथ्य को स्वीकार करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स समाज के कमजोर वर्ग होने के कारण, बहुत बार जो शक्तिशाली लोग हैं, उनका निशाना बनते हैं, उनका शिकार बनते हैं। उनके ऊपर अपराध होते रहे हैं। लेकिन आंकड़ों के आधार पर अगर मैं चलूं जो सब राज्यों से मिले हैं तो कम से कम यह जो प्रीवेंशन आफ सिविल राइट्स एक्ट हैं ...(**व्यवधान**) जो अनटचेबिलिटी से डाइरेक्टली रिलेटेड है....

SHRI NILOTPAL BASU: It is ot the Prevention of the Civil Rights Act, but Protection of the Civil Rights Act.

श्री संघ प्रिय गौतम: हां ठीक है, प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट...

SHRI L.K. ADVANI: Thank you, I stand corrected.

उसके अधीन जो अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता से डाइरेक्टडली रिलेटेड है, अपराधों की कमी होती गयी है, कम से कम रजिस्टर्ड अपराधों की—1994 में 1731, 1995 में 1528, और कम होते होते 1998 में 724 और 1999 में अब तक 315 हो गई है। यह एक प्रकार से इस बात का संकेत है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स पर अपराध तो अब भी होते हैं और

यह काफी बड़ी संख्या है लेकिन प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स एक्ट के अधीन अनटचेबिलिटी के साथ डाइरेक्टली रिलेटेड हैं जो उनमें कमी होना यह एक प्रकार से समाज में जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है उसका लक्षण है और राज्य सरकारें तथा केन्द्र सरकार इस बारे में सजग हैं, सतर्क हैं और कोशिश करती हैं कि यह न हो। यह इसका भी प्रमाण है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, while replying to the first supplcmentary and thereafter, the hon. Minister said that he was finding it difficult to place the report on the Table of the House--as per section 15A(4)- it is a statutory obligation for placing on the Table of each House of Parliament, every year, a report on the measures taken by the Central Government and the State Governments—because the relevant information was not coming from the State Government. Now, the matter is highly sensitive. The purpose of making this provision is, Parliament should be aware of how protection of civil rights is taking place and how offences of untouchability are being dealt with. Even identification of the sensitive areas has been provided in the law and to keep Members of Parliament of both the Houses apprised of this, this provision has been made. Now, what I find from the statement is that during the last 10 years, seven reports have been submitted; and the latest one, if I understood him correctly, relates to the year 1995. In view of this, I would like to know from the hon. Minister whether he can take it up with the Chief Ministers by calling conference or in some other appropriate form. If a political direction goes from the level of the Home Minister and at the level of the Chief Minister and he ensure an institutional arrangement to have a periodical review at his level, then, perhaps things can improve and necessary information can be made available and the awareness building which is most important could be ensured. I would like to know from the hon. Home Minister whether he will contemplate taking such action in this direction.

SHRI L.K. ADVANI: Mr. Chairman, Sir, the Home Ministry is concerned with compilation, monitoring and analysis of crome data relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. So far as this particular matter relating to this Report is concerned, the nodal Ministry is the Ministry of Social Justice, and I have with me a sheaf of letters written by the Minister of State in charge of the Ministry of Social Justice and Social Welfare to the various State Chief Ministers,

stating that this is the statutory obligation with us, with the Government of India, and therefore, please send all the necessary statistics in this regard, and this continues. This is another suggestion that the hon. Member has made and I would certainly, the Government would certainly, keep it in mind that whenever there is an occasion for interacting with the Chief Ministers in a conference called for any occasion, there we will certainly draw their attention to this requirement so that the Parliament is informed at the earliest in respect of this particular situation.

SHRIMATI JAYAPRADA NAHATA: Sir, the hon. Minister has given the clear details, but I would like to know how many cases of conviction have taken place in the State and whether all the cases have been charge-sheeted or not.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, I do not have the statistics of conviction etc. State-wise, and if there is a separate notice, I will certainly find out.

प्रो॰ रामगोपाल यादवः श्रीमन्, अनटचेबिलिटी को एक गंभीर सामाजिक बुराई मानने की वजह से ही हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस को फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्विलिटी के अंतर्गत इंक्लूड किया था और उसी के अंतर्गत अन्य प्रोवीजंस हुए जिन के जरिए इस ऑफेंस को कमिट करने के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही करने के प्रोवीजंस आए। श्रीमन्, इस प्रश्न के उत्तर में जो चार्ट संलग्न है, उस में खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के मामले दिए हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 1999 में एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ और बिहार के मामले में डाट है। संभवतः सूचना उपलब्ध नहीं हुई या उसे शून्य ही मान लिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि आमतौर पर ये शिकायतें रहती हैं। माननीय गृह मंत्री जी भी इस से परिचित होंगे कि इस तरह के ऑफेंसेस जब अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के साथ कमिट होते हैं तो अनेक अवसरों पर उन की शिकायतें दर्ज नहीं की जाती हैं और यह जानकारी अधिकारियों के नोटिस में ही लाई जाती हैं, श्रीमन्, अगर ये सारे अपराध दर्ज होने लगें और जिन के खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं, उन मुकदमों की ठीक तरह से ट्रायल हो और कनविक्शन होने लगे तो ये एक्विटल खत्म हो सकते थे, जैसे कि गृह मंत्री जी ने बताया कि उस के बारे में कोई आंकड़े नहीं हैं। लेकिन मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं कि मुकदमे लिखे नहीं जाते तो इस तरह के मामलों में कितने अधिकारियों के खिलाफ डिसीप्लीनरी प्रोसीडिंग्स प्रारंभ हुई या उन्हें दंडित किया गया?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, आंकड़ों को देखने पर लगता है कि यह जो दोष है, यह सारा हमारी व्यवस्था में है, पुलिस सिस्टम में है। मैं किसी प्रांत का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन जब मैं प्रांतों की लिस्ट देखता हूं और कहीं-कहीं मुझे लगता है कि यहां पर शून्य है या कुछ नहीं है तो मन में संदेह होता है कि इसका संबंध वास्तव में अस्पृश्यता समाप्त हो गयी है, इस से न होकर केस रजिस्टर ही न करना, इस से हो सकता है। महोदय, हमारे पास तो तथ्य इसी आधार पर मिलेंगे। इसलिए हम तो इतना ही कह सकते हैं कि कानून में इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि स्टेट्स उस के लिए स्पेशल कोर्ट्स बना सकती हैं। यह उन को अधिकार है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन को एश्योर किया है कि उस पर जो खर्चा आएगा, उसे हम फिफ्टी-फिफ्टी भुगतेंगे, लेकिन आप इस दिशा में मजबूत कदम उठाएं। श्रीमन्, कुछ प्रदेशों ने अच्छी-खासी संख्या में स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश ने बनाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन के द्वारा वह इस दिशा में कदम उठा सकेंगे। श्रीमन्, हम यह भी अपेक्षा राज्यों से करेंगे और माननीय सदस्य ने जैसा सुझाव दिया जब भी कभी इनसे मौका आएगा इंटरएक्शन करने का, केसेज जरूर रजिस्टर्ड होने चाहिएं, पुलिस में केसेज रजिस्टर्ड न हों और केवल आंकड़े अच्छे करने के लिए काम हो, यह तो सरासर हर मामले में गलत है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा।

श्री गांधी आजाद: सभापति महोदय, जो वर्ष 1998 से संबंधित आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है, उसमें पहले नंबर पर महाराष्ट्र में 191, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में 172, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में 165 और चौथे नंबर पर कर्नाटक में 128 केस बताए गए हैं। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, वहां पर इसमें 1998 में 6 अपराध दर्शाए गए हैं, मेरी समझ से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध होते हैं, लेकिन उन्हें पंजीकृत ही नहीं किया जाता। ....**(व्यवधान)**.... तो मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में राज्यवार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अस्पृश्यता से संबंधित अपराध के कितने मामलों में कितने लोगों को दंडित किया गया है? एक तो मेरा प्रश्न यह है। दूसरा, "ख" भाग मेरे प्रश्न का यह है कि छुआछूत के विनाश का कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम इस सरकार द्वारा बनाने की कोई योजना है या नहीं।

SHRI L.K. ADVANI: I would need notice for the question about the last three years statistics. So far as not registering the cases is concerned, I have already referred to the fact that it certainly does not appeal to me that in a large State the number is zero. There must have been some failure in registeration. I acknowledge that and we would pursue it.

श्री संघ प्रिय गौतम: सभापति जी, संविधान बनाते समय जब छुआ-छूत के बारे में समीक्षा की गई, तो पाया गया कि कई प्रकार कि छुआ-छूत देश में थी और इसलिए संविधान में यह प्रावधान बनाया गया कि Untouchability is abolished and its practice, in any form, is forbidden. अब जो शारीरिक छुआ-छुत थी, माननीय गृह मंत्री जी ने सही कहा, उसमें काफी कमी आ गई है, लेकिन मानसिक छुआ-छूत बहुत बढ़ गई है। पिछले दिनों जातिवादी राजनीति के कारण इस देश में जो जातिवादी घृणा फैली उससे यहां पर जो रिकमंडिंग अथोरिटी है या एपायंटिंग अथोरिटी है उनके भी दिमाग प्रभावित और प्रदूषित हुए हैं। इसके कारण अनुसूचित जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व संगठनों में, सरकारों में, शासन में, प्रशासन में, उद्योग में, लाभ के पदों में, सेवाओं में प्रतिदिन कम होता जा रहा है या ठहर गया है। अगर यही स्थिति रही तो क्या हाल होगा? मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी को, कि अभी 5 तारीख को सरकार द्वारा आयोजित अनुसूचित जाति, जनजातियों के सम्मेलन में उन्होंने इसकी पहचान की और एक क्रांतिकारी घोषणा की इन सारी अनियमितताओं को दूर करने के लिए। मैं गृह मंत्री जी से केवल यह पूछना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है और जो आपने क्रांतिकारी कदम उठाने का प्रावधान राष्ट्रीय एजेण्डा में बनाया है, उसको क्रियान्वित करने के लिए हर स्तर पर क्या आप उनके प्रतिनिधित्व को चिह्नित करेंगे और उसे दूर करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम आप निर्धारित करेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवानी: प्रधान मंत्री जी की घोषणा के अनुरूप सरकार आवश्यक कदम उठाएगी। उसमें कोई विलंब नहीं होगा।

श्री सनातन बिसि: चेयरमैन साहब, 5, 6 और 7 तारीख को एस०सी०, एस०टी० की क्रांफ्रेंस हुई, उसी कांफ्रेंस में इसके बारे में भी बहुत डिस्कशन हुई कि इस एक्ट को अच्छी तरह से कैसे लागू किया जाए। अभी बात यह आ रही है, चेयरमैन साहब, कि हम लोगों के लिए जो प्रोविज़न है उसमें यह लिखा है कि कौन-कौन सा एरिया रहेगा जो आइडेंटिफाई होगा, दूसरे, उसमें यह भी है कि हम लोगों के लिए वहां पर रेगुलर ओफिसर रहेगा। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक कौन-कौन से एरिया में कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें सब चीज़ के बारे में केस हैं, और कमेटी गठन करने का क्या मतलब है? हम गलत हो सकते हैं, अब हमें औरों के बराबर काम भी करना पड़ेगा, उसके बाद समाज के साथ चलना भी पड़ेगा, दोनों चीजों की जरूरत है। तो मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, ऐश्योरेंस यदि नहीं है तो देनी चाहिए, कि कितनी कमेटियों का गठन किया गया है और कौन-कौन से आफिसर्स हैं जो लोगों में एक्च्युअल काम भी करते हैं और कांस्टीट्यूशन की भी देखभाल करते हैं? This is my question, Sir.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, the report would indicate all that has been done in the untouchability-prone areas. But, as I have already indicated, the statistics from the States indicate that so far as this particular problem is concerned, there is an appreciable decline.